कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः— 57 / 2018 वाद
दायर दिनांकः— 31 / 05 / 2018
निर्णय दिनांकः— 31 / 07 / 2019

अनवान

1. कमला देवी बेवा लालुराम सनाढ्य निवासी गिलूण्ड तह0 रेलमगरा
2. प्रकाश पिता लालुराम सनाढ्य निवासी गिलूण्ड तह0 रेलमगरा
3. दिनेश पिता लालुराम सनाढ्य निवासी गिलूण्ड तह0 रेलमगरा
4. प्रेमदेवी पुत्री लालुराम पत्नि भैरूलाल सनाढ्य निवासी गिलूण्ड हाल निवासी राज्यावास
5. शांतादेवी पुत्री लालुराम पत्नि प्रेमशंकर सनाढ्य निवासी राज्यावास
6. जमनादेवी पुत्री लालुराम पत्नि सत्यनारायण सनाढ्य निवासी राज्यावास

वादीगण

बनाम

1. जगदीश मुतबन्ना मोहनलाल सनाढ्य निवासी गिलूण्ड तह0 रेलमगरा
2. हरिश मुतबन्ना कालुराम सनाढ्य निवासी गिलूण्ड तह0 रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर. टी. ए. के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलूण्ड की आराजी संख्या 3847, 3077, 3084 3071, 540, 3098, 539, 3845, 2258, 3839, 3075, 3072, 3070, 3078, 3079, 3081, 3082, 3091, 3094, 3149, 3842, 4534 कुल किता—22 कुल रकबा 83-07 बीघा स्थित है यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि स्वीर्गीय लालुराम पिता तुलसीराम की थी तुलसीराम का एक भाई भूरालाल लाऔलाद फौत होने से लालुराम को भूरालाल की सारी सम्पति प्राप्त हुई इस प्रकार तुलसीराम भूरालाल की जमीन विरासत के आधार पर लालुराम को प्राप्त

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हुई वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 लालुराम के वारिस है यह कि प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल के यहां गोद चले गये जो गोदनामा दिनांक 16.8. 1995 को निष्पादित किया गया तब से प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश मोहनलाल के गोदपुत्र की हैसियत से मोहनलाल समस्त चल अचल सम्पति विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश को प्राप्त हुई कालुराम पिता गोविन्दराम सनाढय के कोई पुत्री, पुत्री सन्तान नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 02 हरिश बचपन से कालुराम पिता गोविंद सनाढय के यहा गोद चला गया और गोदपुत्र की हैसियत से कालुराम के साथ रहा इस सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 02 हरिश ने दिनांक 20.12.2009 को कालुराम का गोदपुत्र होने की हैसियत से सहमति स्वरूप एक लिखतम निष्पादित की गई और इस सम्बंध में कालुराम ने प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में अपनी मृत्यु से पूर्व एक वसियत निष्पादित कर रखी है जिसका हवाला नामान्तरण सख्या 2316 में दे रखा है और कालुराम की मृत्यु ही वर्ष 1991 में हो गई है कालुराम की मृत्यु के बाद चल अचल सम्पति विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 को प्राप्त हुई है और उनकी कृषि भूमियो मे भी कालुराम की बजाय हरिश के नाम दर्ज है जिसकी ताईद जमाबंदी सम्वत् 2069–72 से होती है .यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि एवं लालुराम अन्य चल अचल सम्पति के सम्बंध में एक हक त्याग सहमति पत्र वादीगण के पक्ष में दिनांक 7.11.2015 को निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये है यह कि वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियो के सम्बंध में प्रतिवादी सख्या 01 व0 2 ने गलत रूप से लालुराम की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर वादीगण के साथ ही मिलीभगत करते हुऐ अवैध रूप से दर्ज करवा दिया है जब कि प्रविवादी संख्या 01 व 02 दोनो ही गोद चले गये और गोद चले जाने के बाद अपने वास्वविक पिता से विधि अनुसार कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होते है

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

बावजुद उसके प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अवैध रूप से अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया है स्व. लालुराम की मृत्यु वर्ष 2015 में हो गई है यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को यह भलीभांति जानकारी है कि उनका स्व. लालूराम की सम्पति व कृषि भूमियो में कोई हक अधिकार नहीं है उसके बावजुद लालच के वसिभुत होकर जमीनो की किमते बढ जाने व मन में मद्यान्ति उत्पन्न हो जाने से अवैध रूप से लालुराम जमीनो में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति दो जगह से हिस्सा प्राप्त करे इसलिये उक्त दोनो ही प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण के हक अधिकारो की घोषणा किये जाने निमित यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम उनके गोद पिता से विरासम से प्राप्त सम्पति व कृषि भूमि में नाम दर्ज हो गया है लेकिन गलत रूप से वादीगण के हक अधिकारो को मारने के उद्धेश्य से राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर इस प्रकार का अवैध कृत्य किया है जो निरस्त होने योग्य है यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 01व 02 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे न ही किसी प्रकार से रहन, बय, बख्सीस करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे न ही वादग्रस्त आराजीयात पर लोन आदि लेवे न ही खुर्द बर्द करे। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं न करे न ही अन्य किसी से करावें यह कि प्रतिवादी संख्या 03 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 में वर्णित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूपेण दर्ज कर दिया गया है जिसको विलोपित किया जाकर उनके जगह वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यह कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजी में वादीगण के हक अधिकारो की घोषणा के परिणाम स्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि आराजियात को अन्तरित नहीं करे न ही रूप परिवर्तन करे न ही किसी अजनबी व्यक्ति को प्रवेश करावे। ऐसा कार्य प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं न करे न ही किसी अन्य से करावे। दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा ऐसा कोई कृत्य कर लिया जाता है तो आदेशात्मक आज्ञा से पुनः पूर्ववत् स्थिति कायम करावे जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नही करना चाहा। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 दिनेशचन्द्र, पीडब्ल्यू–02 कमलादेवी, पीडब्ल्यू–03 रामप्रकाश के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी की नकले प्रदर्श–01 से लगायत 11 तक, जगदीशचन्द्र मोहनलाल के गोद गये उसका गोदपत्र प्रदर्श–12, मोहनलाल की भूमियां गोदपत्र के आधार पर जगदीशचन्द्र के नाम आयी उसके खाते की जमाबन्दी की प्रदर्श–13, 14, 15, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–16, स्वीकारात्मक जवाब प्रदर्श–17 एवं हरिश कालु के गोद गया उस गोदनामें की प्रति प्रदर्श–18, हकत्याग, सहमति पत्र दिनांक 07.11.2015 की प्रति प्रदर्श–19 के प्रस्तुत किये गये।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा वादी ने भी उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व किया गया है।

अतः वादीगण का आंशिक रूप से वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलूण्ड की आराजी संख्या 3847, 3077, 3084 3071, 540, 3098, 539, 3845, 2258, 3839, 3075, 3072, 3070, 3078, 3079, 3081, 3082, 3091, 3094, 3149, 3842, 4534 कुल किता–22 कुल रकबा 83-07 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

31/7/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा